पाठ्यक्रम कार्य

6.01- विद्यावारिधि (पी-एच॰डी॰) पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 03 वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

6.02- प्रत्येक प्रविष्ट अभ्यर्थी को न्यूनतम 06 माह की अवधि वाला एक अधिसत्र का पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अन्तर्गत पूरा करना अनिवार्य होगा।

6.03- पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके शोधार्थियों की प्रगति संतोषजनक होने की दशा में तीन वर्ष की समयावधि पूर्ण होने के बाद शोध पर्यवेक्षक के अधीन स्थान रिक्त माना जायेगा।

6.04- सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रू. 25000/- (पच्चीस हजार) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रू. 12500/- (बारह हजार पाँच सौ) शुल्क जमा करना होगा।

6.05- विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क का संचालन एक समन्वय समिति जिसमें सभी संकायाध्यक्ष सदस्य होंगे तथा वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष अध्यक्ष एवं निदेशक, अनुसंधान संस्थान सचिव होंगे। कुलपति आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के किन्हीं दो अन्य अध्यापकों को सदस्य मनोनीत कर सकेंगे।

6.06- पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की परीक्षा में बैठने के लिए सभी कक्षाओं में न्यूनतम उपस्थिति (प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक अलग-अलग) 75% होगी। अस्वस्थता, क्रीड़ा या पाठ्येत्तर गतिविधि में सहभागिता की स्थिति में आवश्यक उपस्थिति हेतु निम्न नियम लागू होंगे।

6.06(क) 5% की छूट सम्बन्धित सचिव समन्वय समिति द्वारा समन्वय समिति की संस्तुति पर दी जा सकेगी।

6.06(ख) समन्वय समिति की स्पष्ट संस्तुति पर कुलपति द्वारा 10% तक की छूट दी जा सकेगी। उपर्युक्त छूट के पश्चात भी 65% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6.7- यदि कोई छात्र प्रथम प्रयास में कोर्स वर्क की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे अगले कोर्स वर्क की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने का मात्र एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में सम्मिलित न हो सकने की स्थिति में छात्र रू. 5000/- (पाँच हजार) शुल्क जमा कर नियमित क्रम में आयोजित होने वाले अगले पाठ्यक्रम कार्य में पूर्णकालिक अध्ययन कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उसके प्रवेश की तिथि दूसरे पाठ्यक्रम कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि मानी जायेगी। किन्तु उसके पश्चात कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

6.08 महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो) उन्हें विद्यावारिधि (पी-एच॰डी॰) के लिए अधिकतम 02 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त, महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल./विद्यावारिधि की समग्र अवधि में एक बार 240 दिन का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

6.09 विद्यावारिधि कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

6.10 जो अभ्यर्थी एम.फिल. में पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें विद्यावारिधि समेकित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी है, उन्हें विभाग द्वारा विद्यावारिधि पाठ्यक्रम कार्य में छूट प्रदान की जा सकती है।

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

Scanned with CamScanner